

New Delhi, the 18 October, 1969.

NOTIFICATION

234

S.O. \_\_\_\_\_.- In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators of the Union territories of Chandigarh, Delhi, Goa, Daman and Diu, Himachal Pradesh, Manipur and Pondicherry shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the Central Government under section 11 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), within the respective Union territories.

[No.F. 2/5/69-UTL]

SD.

(P. N. Kaul)

Deputy Secretary to the Govt. of India.

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1969.

अधिसूचना

क्र० आ० \_\_\_\_\_.- संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति प्रत्यूक्त निदेश देते हैं कि चण्डीगढ़, दिल्ली, गोवा, दमण और दीव, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और पाण्डिचेरी के संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन तथा और आगे आदेश होने तक, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 11 के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन, अपने संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर करेंगे

(सं. उपक्र० 2/5/69-यू.टी.उत्त०)

(पी.एन.कौल)

उप सचिव, भारत सरकार

To

The General Manager,  
Government of India Press,  
Main Wing, NEW DELHI.